राजस्थान सरकार

अभियोजन गृह (ग्रुप-10) विभाग

क्रमांक:-प.18(3)गृह-10/97/ जयपुर, दिनांक: 6.3.97

प्रेषिति:-

1. समस्त जिला मजिस्ट्रेट, राजस्थान।
2. समस्त पुलिस अधीक्षक, राजस्थान।
3. समस्त सहायक निदेशक अभियोजन, राजस्थान।

विषय:-**महिलाओं पर अत्याचार सम्बन्धी अपराध प्रकरणों के शीघ्र एवं सफल निस्तारण हेतु पुलिस व अभियोजन अधिकारियों के मध्य विचार गोष्ठियों का आयोजन।**

महोदय,

राज्य में महिलाओं पर अत्याचार सम्बन्धी अपराध प्रकरणों की संख्या निरन्तर बढ़ रही है। राज्य सरकार अपराध प्रकरणों की इस वृद्धि को काफी गंभीरता से देखती है। अत: यह निर्णय लिया गया है कि पुलिस व अभियोजन अधिकारीगण महिलाओं पर अत्याचार सम्बन्धी अपराध प्रकरणों पर नियमित विचार गोष्ठियों का आयोजन करें, तथा विचार विमर्श कर इन प्रकरणों के शीघ्र एवं सफल निस्तारण में आ रही समस्याओं के निराकरण के सम्बन्ध में तत्कालिक उपाय ढूंढ़े ताकि अभियोजन प्रगति को सुगम एवं द्रुत बनाया जा सके। राज्य सरकार ने ऐसी बैठक बुलाये जाने हेतु निम्न प्रक्रिया निर्धारित की है:-

समस्त जिला कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट अपने-अपने मुख्यालय पर पदस्थापित पुलिस अधीक्षक, सहायक निदेशक अभियोजन तथा समस्त सहायक लोक अभियोजक, प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी, त्रैमासिक अवधि के अन्तराल पर एक निश्चित तारीख पर विचार गोष्ठी का आयोजन करेंगे। इन बैठकों में लोक अभियोजक/ अतिरिक्त लोक अभियोजक को भी सूचना दी जायेगी ताकि वे भी उपस्थित हो सकें।

इन बैठकों में सामान्य महत्व के निर्णय जैसे अभियोजन में असफलता के कारण, साक्षियों के प्रतिकूल होने की प्रवृति, सम्मनों-वारण्टों की समय पर तामील, पुलिस व अभियोजन शाखा के बीच सहयोग बढ़ाने हेतु कदम व अन्य सभी मामले जो सुसंगत व आवश्यक हों, पर विचार किया जायेगा।

जिला मजिस्ट्रेट इस प्रकार की मीटिंग की कार्यवाही से महानिदेशक पुलिस व निदेशक अभियोजन को अवगत करायेंगे।

भवदीय,

(अरुण कुमार)

अतिरिक्त मुख्य सचिव,

गृह एवं न्याय विभाग।

(नोट : पुन: पत्र क्रमांक र.3(1)(2)सा./अभि./98/4110-41 दिनांक 30.5.98 व र.3(1)(2) सा./ अभि/98/ 10360-99 दिनांक 19.9.98 के द्वारा विचार गोष्ठियों के आयोजन पर जोर दिया गया तथा विचार गोष्ठी की कार्यवाही का विवरण निदेशालय को भेजने के निर्देश दिये गये)